हुक्म		में जारी हुए
	का निस्तारण मैरिट पर किया जायेगा। वास्ते बहस 23/3/17 को पेश हो।	
23/3/17	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० थे बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली 6.4.17 को पेश हो।	
6.4.17	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० थे श्रीमान् P.O. सा० कोटा चुनाव मीटिंग में है। वास्ते आदेश 12/4/17 को पेश हो। [signature]	
12.4.17	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण T.P.R. रा० मण्डी को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील व तामील प्रविष्ट रेकर्ड भण्डार हो। [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

प्रकरण संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
102/2016	12.02.2016	12.04.2017

पीठासीन अधिकारी :– चिन्मयी गोपाल (I.A.S.)

–:: उनवान ::–

1. श्री नंदसिंह आत्मज इंद्रसिंह जाति राजपुत मतक कायम मुकामान
   1/1 मनोहर कॅवर पत्नी स्व 0 नंदसिंह जी जाति राजपुत
   1/2 भॅवरसिंह पुत्र स्व0 नंदसिंह जी जाति राजपुत
   1/3 अजराजसिंह पुत्र स्व0 नंदसिंह जी जाति राजपुत
   1/4 भगवानसिंह पुत्र स्व0 नंदसिंह जी जाति राजपुत
   1/5 राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 नंदसिंह जी जाति राजपुत
   1/6 चरणसिंह पुत्र स्व0 नंदसिंह जी जाति राजपुत
   1/7 पुष्पंकॅवर पुत्री स्व0 नंदसिंह जी जाति राजपुत निवासीगण दुडकली तह0 रा0मंडी जिला कोटा

– अपीलांट

(1) जसवंतसिंह पुत्र नंदसिंह जी जाति राजपुत
(2) बंजरंगसिंह पुत्र नंदसिंह जी जाति राजपुत निवासीगण दुडकली तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा राजस्थान

–रेस्पोडेन्ट

–: अपील :–

अंतर्गत धारा 75 ले0रे0 एक्टा बनाराजगी आदेश इंतकाल सं0 440 दिनांक 27/6/10

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री श्याम बिहारी माहेश्वरी :– वकील अपीलान्ट
2. श्री जितेन्द्र नामा व श्री मारूफ अली :– वकील रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनॉक 12/04/2017

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

(5)

अपीलार्थी द्वारा जरिये विद्वान अधिवक्ता एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि,

यह कि अपीलांट ग्राम दुडकली तहसील रामगंजमंडी का मूल निवासी हैा तथा ग्राम दुडकली में ही अपीलांट का नाम, पिता का नाम एवं जाति के ही एक अन्य व्यक्ति नंदसिंह मत्युं के समय आयु 85 वर्ष आत्मज इंद्रसिंह जाति राजपुत निवासी दुडकली रहे हैा जिनके रेस्पाडेंट पुत्र है।

यह कि अपीलांट को ग्राम सारनखेडी तहसील रामगंजमंडी के माल की ख0न0 227 मिन की 8 बीघा 01 बिस्वा भूमि आंवटन में प्राप्तं हुइ। आंवटन आदेश दिनांक 25/6/1976 के आधार पर अपीलांट के नाम पटटा गैर खातेदार कृषक का जारी किया गया। जो साथ संलग्न है।

यह कि इसके बाद राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे अपीलांट के नाम इंद्राज जर्ये नामांतरण नं – 96 से गैरखातेदार दर्ज किया गया तब से अपीलांट उक्त आराजी को बहैसियत गैर खातेदार काबिज रहकर काश्त करता रहा, इंतकाल स0 214 से अपीलांट को उक्त आराजी के लिए खातेदारी अधिकार दिए गएा जिसका इंद्राज राजस्व् अभिलेख जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत 2034 से 37, सम्वत 2038 से 41, सम्वत 2042 से 46, सम्वत 2047 से 50, सम्वत 2051–54 के साथ संलग्न हे ।

यह है कि उक्त पुराने ख0न0 227 मि रकबा 8 बीघा01 बिस्वा वाके माल ग्राम सारनखेडी तहसील रामगंजमंडी के बाद सेटलमेंट नए खसरा न0 दर्ज कर दिए गए उक्त पुराने ख0न0 मिन 227 के दो नए खसरा न0 475 रकबा 0.60 हैक्टेयर अंकित किए गए, नकल मिलान क्षैत्रफल साथ संलग्न हैं

यह कि अपीलांट के नाम के ही अन्य व्यक्ति नंदसिंह का स्वर्गवास होने पर उनके स्थान पर फौती इंतकाल खोला जाकर ग्राम पंचायत मदनपुरा द्वारा अपीलांट के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी मिन 227 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय वाके माल ग्राम सारनखेडी के लिए इंतकाल स0 440 का इंद्राज कर अपीलांट के जीवित रहते हुए अपीलांट के स्थान पर अन्यी मतक नंदसिह के वारीसान रेस्पोक0 क्रम 1, 2 का नाम दर्ज कर कानुनी भूल की है। उक्त आराजी मृतक इंद्रसिंह जाति राजपुत के खाते एवं कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

6

की नहीं रही है इस कारण उक्त इंतकाल अपीलांट के विरूद्व प्रभाव शून्यत हैं। जिसके इंद्राज को अपीलांट के खाते एवं कब्जे की आराजी पुराने ख0न0 मिन 227 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा नये ख0न0 475 रकबा 0.60 हेक्टेयर एवे नए ख0न0 482 रकबा 0.70 हैक्टेवयर से संबधित जमाबंदी से उक्ता इंतकाल के आधार पर किया गया अंकन निरस्त किया जावें ।

यह कि अपीलांट के निर्देशन पर अपीलांट के पुत्र श्री चरण सिंह द्वारा उक्त् आराजी की नकल जमाबंदी सम्वय 2068 से 71 की नकल राजस्व विभाग हल्का पटवारी से प्राप्त करने पर नकल के अवलोकन से इस तथ्य की जानकारी हुइं। इस पर संबधित इतंकाल स0 440 ग्राम सारनखेडी तहसील रामगंजमंडी की नकल दिनांक 18/11/2014 को हल्का पटवारी से प्राप्त करने पर प्रथम बार अपींलांट को इस तथ्य को जानकारी हुइ।

दिनांक 27.06.2010 से दिनांक 17/11/2014 तक की अवधि को अपीलांट की जानकारी में उक्त इंतकाल तस्दीक न होने का तथ्य न होने से उक्त डिले क़ो कन्डोन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन इंतकाल स0 440 दिनांक –27/6/2010 निरस्त किया जाकर आदेश पारित कर आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज करने का आदेश प्रसारित करें।

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमों के कथनों के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. छायाप्रति नकल नामान्तरकरण नम्बर 440 दिनॉक 27.06.2010 वाके माल मौजा सारनखेड़ी
2. छायाप्रति गैर खातेदारी पट्टा
3. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या आरजे/19/115/303723 जारी दिनॉक 09.10.2008 निर्वाचक का नाम नन्दसिंह पुत्र इन्द्रसिंह विधानसभा क्षेत्र रामगंजमण्डी 192

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

(7)

4. परिवार कार्ड सं0 164 जारी द्वारा विकास अधिकारी खैराबाद नाम मुखिया श्री नन्दसिंह पुत्र इन्द्रसिंह ग्राम पंचायत रीछड़िया
5. छायाप्रति मिलान क्षेत्रफल ग्राम सारनखेड़ी सं2004–24
6. नकल जमाबन्दी ग्राम सारनखेड़ी सं0 2034–37 खाता नम्बर 112
7. नकल जमाबन्दी ग्राम सारनखेड़ी सं0 2038–41 खाता नम्बर 117
8. नकल जमाबन्दी ग्राम सारनखेड़ी सं0 2042–46 खाता नम्बर 119 मय नोट नामान्तरकरण नम्बर 214 बाबत खातेदारी
9. नकल जमाबन्दी ग्राम सारनखेड़ी सं0 2047–50 खाता नम्बर 45/1
10. नकल जमाबन्दी ग्राम सारनखेड़ी सं0 2051–54 खाता नम्बर 51
11. छायाप्रति नकल जमाबन्दी ग्राम सारनखेड़ी सं0 2055–58 खाता नम्बर 49
12. नकल जमाबन्दी ग्राम सारनखेड़ी सं0 2068–71 खाता नम्बर 33

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्से को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स की तरफ से श्री जितेन्द्र नामा व श्री सैयद मारूफ अली विद्वान अधिवक्तागण द्वारा वकालातनामा प्रस्तुत किया गया।

दौराने सुनवाई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 प्रस्तुत होने पर बाद सम्यक कार्यवाही अपीलार्थी के कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिया गया।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस विद्वान विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन है कि नन्दसिंह पुत्र इन्द्रसिंह नाम के दो व्यक्ति हैं । अपीलार्थी को प्रकरण वर्णित भूमि दिनॉक 25.6.1976 को आवंटित हुई थी। कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है। नामान्तरकरण नम्बर 214 से अपीलार्थी को खातेदारी दी गई। नामान्तरकरण नम्बर 440 से अपीलार्थी को मृत बताकर रेस्पो0 का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलार्थी जीवित है। साबिक खसरा नम्बर 227 के नवीन नम्बर 475 व 782 बनाये गये है जो नामान्तरकरण नम्बर 440 के प्रभाव से रेस्पोडेन्ट्स के नाम पर दर्ज कर दिया गया। वतफमान नन्दसिंह 68 साल के है जबकि मृतक नन्दसिंह 85 वर्ष का है। अतः इन्तकाल नम्बर 440 खारिज़ किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

(8)

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि प्रारम्भ से ही प्रकरण वर्णित भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स का ही कब्जा काश्त चला रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र नन्दसिंह प्रस्तुत किया गया है। तथा लगान की रसीद रेस्पो0 के पास मौजूद है। मृत्यु प्रमाण पत्र 2008 का है तथा इन्तकाल 2010 में खोला गया है। रेस्पो0 ही मृतक नन्दसिंह पुत्र इन्द्रसिंह के वारिस है तथा भूमि पर कब्जा भी इनका ही है। लगान भी इनके द्वारा ही जमा करवाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज़ की जावे।

अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोउेन्ट्स द्वारा

1. मृत्यु प्रमाण पत्र श्री नन्दसिंह पुत्र इन्द्रसिंह दिनॉक 24.07.2008 जारी द्वारा ग्राम पंचायत रीछड़िया पजीयन नम्बर 24 दिनॉक 24.07.2008 ,
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या आरजे/19/115/303749 जारी दिनॉक 12.10.1998 निर्वाचक का नाम नन्दसिंह पुत्र इन्द्रसिंह विधानसभा क्षेत्र रामगंजमण्डी 115
3. पी033 रसीद बुक नम्बर 058481 र0न0 0027 तादादी 240 दिनॉक 26.03.2014 की छायाप्रति
4. नकल जमाबन्दी ग्राम सारनखेड़ी सं0 2068–71 खाता नम्बर 33
5. नकल जमाबन्दी ग्राम सारनखेड़ी सं0 2043–46 खाता नम्बर 119
6. नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम सारनखेड़ी सं 2004–24

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। अपील मेमों में अंकित कथन , वर्णित तथ्य , वॉच्छित अनुतोष, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात , बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष आदि , तथा रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया।

प्रकरण में सर्वप्रथम अपील अपीलार्थी के साथ प्रस्तुत शपथपत्र धारा 5 मियाद कानून तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद कानून के अवलोकन के उपरान्त अपील अपीलार्थी को अन्दर मियाद स्वीकार किये जाने पर कोई ऐतराज़ प्रकट नहीं है, अतः अपील अपीलान्ट को अन्दर मियाद दर्ज कर सुनवाई की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

(9)

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा ग्राम सारनखेड़ी के नामान्तरकरण नम्बर 440 दिनांक 27/6/10पर ग्राम पंचायत मदनपुरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है। उक्त आदेश का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश ग्राम सारनखेड़ी की भूमि खसरा नम्बर 227 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जिसके खातेदार श्री नन्दसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत की मृत्यु के बाद दायर किया गया है। उक्त नामान्तकरण दिनॉक 12.05.2010 को दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण में नन्दसिंह के दो पुत्र रेस्पो0 को अंकन किया हुआ है। पुत्रियॉ तथा बेवा नहीं होना अंकित किया गया है।

उक्त नामान्तरकरण की जॉच आई0एल0आर0 द्वारा जून 2010 में की गई। जिसमें " **अंकन दुरूस्त है** " का अंकन किया गया है। दिनॉक 27.06.2010 को अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मदनपुरा द्वारा " **मुताबिक शजरा नामा0 स्वीकार है** " का आदेश पारित किया गया है।

प्रकरण में यह तय है कि प्रकरण वर्णित भूमि के नामान्तरकरण से संबंधित नाम के तथा वल्दियत ,कौमियत व सकूनत के दो व्यक्ति है। प्रकरण में जहॉ अपीलार्थी का कथन है कि अपील दायरा के दिवस के अपीलार्थी जिन्दा था तथा अपीलार्थी को मृतक बताकर अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी की भूमि को किसी अन्य नन्दसिंह के वारिसान के नाम पर दर्ज कर दिया गया है।

जहॉ प्रथम नन्दसिंह की मृत्यु का प्रश्न है तो वह अपीलाधीन आदेश में वर्णित नन्दसिंह है जिसकी मृत्यु 25.10.2004 को हुई तथा द्वितीय नन्दसिंह जो स्वयं अपीलार्थी है उसकी मृत्यु दिनॉक 17.11.2015 को होना जाहिर आता है। अर्थात अपीलार्थी की मृत्यु दौराने सुनवाई अपील हुई है। उक्त तथ्य प्रकरण में पृस्तुत किये गये मृत्यु प्रमाण पत्रो की प्रतियों से प्रकट होता है।

अपीलाधीन आदेश से प्रभावित भूमि दिनॉक 25.06.1975 को नंदसिंह पुत्र इन्द्रसिंह को आवंटित होना , तथा उक्त व्यक्ति के नाम पर ही गैर खातेदारी दर्ज होना तथा

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

नामान्नतरकरण नम्बर 214 से खातेदारी दर्ज होने का अंकन है। इस प्रकार प्रकरण में यह तय नहीं किया जा सकता कि प्रकरण से संबंधित भूमि किस नन्दसिंह पुत्र इन्द्रसिंह को आवंटित हुई थी ?

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र के तहत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। किन्तु अदालत मातहत ने जैर अपील फैसला देते समय फरीकेन को सुनवाई का अवसर दिया हो यह प्रमाणित नहीं है। उक्त आदेश पारित करते समय राजस्थान भू0 राजस्व नियमावली 1957 के नियम 121 के उपनियम 4 की पालना की गई हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अर्थात प्रकरण में जैर अपील आदेश पारित करते समय प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की गई है। प्रकरण में मातहत अदालत ने एक ही ग्राम के एक ही नाम के दो व्यक्तियों के संबंध में यह जानने का प्रयास नहीं किया कि भूमि का वास्तविक हकदार कौन है ?

इस प्रकार मातहद अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त तथा अपीलाधीन आदेश के पारित करते समय प्रक्रियात्मक कार्यवाही की त्रुटि कारित की है। जिससे प्रकरण में इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक ही नाम , पिता का नाम जाति तथा एक ही ग्राम के दो व्यक्ति होने से एक व्यक्ति की भूमि को दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज कर दिया गया हो।

प्रकरण में अपील के स्तर पर यह तय नहीं किया जा सकता कि , वास्तविक हकदार व्यक्ति कौन है ? तथा प्रकरण में स्वत्वः तय करने संबंधी कार्यवाही भी धारा 75 भू0राजस्व अधिनियम के तहत किया जाना संभव नहीं है। उक्त प्रक्रम में यह तय किया जाना अवशेष है कि

1. भूमि किस पक्षकार को आवंटित हुई थी।
2. भूमि पर खातेदारी स्वत्वः किस पक्षकार को दिया गया था।
3. भूमि का वास्तविक हकदार कोन है

उपखण्ड अधिकारी

(11)

4. भूमि पर पजेशन किस पक्षकार का है।

प्रकरण में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत मदनपुरा दिनॉक 27.06.2010 जो ग्राम सारनखेड़ी के नामान्तरकरण नम्बर 440 पर दिया गया है को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को इस निर्देश के साथ प्रतिपेषित किया जाता है.कि , वे उपरोक्त विवेचन तथा बिन्दु संख्या 1 से 4 को दृष्टिगत रखते हुये पक्षकारों को सुनवाई तथा तथ्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देकर नवीन सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रामगंजमण्डी को भिजवाई जावे। उभय पक्षकार दिनॉक 24.04.2017 को न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के न्यायालय में उपस्थित रहै। पत्रावली बाद तामील तकमील व तरमीम फैसल शुमार की जाकर पृविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनॉक 12/04/2017 को मैरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया ।

(चिन्मयी गोपाल)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी,
रामगंजमण्डी